

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/81/2020

1. श्रीमती सोहनी देवी पुत्री स्व० श्री सांवत सिंह पत्नी स्व० श्री शंकर सिंह, आयु 63 वर्ष, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम देवपुरा, पोस्ट टाकरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. श्रीमती रामप्यारी देवी पुत्री स्व० श्री सांवत सिंह पत्नी री हनुमान सिंह, आयु 61 वर्ष, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम देवपुरा, पोस्ट टाकरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

- वादीगण -

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र स्व० श्री सांवत सिंह, आयु 75 वर्ष, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बगरू रावान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री गिरधारी सिंह आयु 48 वर्ष, जाति राव राजपूत निवासी ढाणी कुंआ बोडली, तन ग्राम बानसुर, तहसील बानसुर जिला अलवर
3. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री मान सिंह, आयु 45 वर्ष जाति राव राजपूत निवासी ढाणी कुंआ बोडली, तन ग्राम बानसुर, तहसील बानसुर जिला अलवर।
4. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री चिंरजी लाल, आयु 43 वर्ष, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम देवपुरा, पोस्ट टाकरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
5. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री चन्द्र सिंह, आयु 38 वर्ष, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम खवारावजी, तहसील व जिला दौसा। हाल निवासी ग्राम बगरू रावान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
6. श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री रविन्द्र सिंह पुत्री श्री चिंरजी लाल, आयु 23 वर्ष, निवासी ग्राम देवपुरा, पोस्ट टाकरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।



बोदूराम जाट पुत्र श्री श्योकरण, आयु 78 वर्ष, जाति जाट, निवासी ढाणी सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल ढाबा बगरू रावान, अजमेर रोड, जयपुर। (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)

- 7/1 रामलाल पुत्र स्व० श्री बोदूराम जाट
- 7/2 रामकुंवार पुत्र स्व० श्री बोदू राम जाट
- 7/3 गोपाल पुत्र स्व० श्री बोदू राम जाट
- 7/4 सीताराम पुत्र स्व० श्री बोदू राम जाट
- 7/5 रामेश्वर पुत्र स्व० श्री बोदू राम जाट
- 7/6 गीता पुत्री स्व० श्री बोदू राम जाट



(Signature)
सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

समस्त जाति जाट, समस्त निवासीगण ढाणी राजपुरा कोदर, तहसील सांगानेर
जिला जयपुर हाल ढाबा गरु कोदर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल ढाबा
बगरु रावान, अजमेर रोड, जयपुर।

8. श्रीमती गलखु देवी पत्नी श्री बोदू राम जाट, आयु 75 वर्ष, जाति जाट, निवासी
ढाणी राजपुरा कोदर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल ढाबा बगरु रावान,
अजमेर रोड, जयपुर।
9. श्रीमती जानकी देवी पुत्री स्व० श्री सांवत सिंह धर्मपत्नी श्री शंकर सिंह, आयु 73
वर्ष, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम मेड, तहसील विराट नगर, जिला जयपुर।
10. श्रीमती बंशी देवी पुत्री स्व० श्री सांवत सिंह पत्नी श्री अर्जुन सिंह, आयु 70 वर्ष
जाति राव राजपूत निवासी मकान नंबर 32 श्री रामगनर ग, कालवाडा रोड,
झोटवाडा जयपुर।
11. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला
जयपुर।

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

एवं आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी

सपठित आदेश 2 नियम 2 एवं धारा 10 व 11 व

धारा 151 सीपीसी

उपस्थित : 1. श्री अशोक चतुर्वेदी अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी

2. श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी

3. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 व 8



निर्णय -

दिनांक : 09.11.2022

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
जाप्ता दीवानी सपठित आदेश 2 नियम 2 एवं धारा 10 व 11 व धारा 151 सीपीसी
पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद बाबत
दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। जिसमें
वादीगण ने खसरा नंबर 363, 367, 386, 395, 397, 651 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 0.
4416 हैक्टेयर वाकैँ ग्राम बगरु रावान् पटवार हल्का अवानियों भू-अभिलेख निरीक्षक

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय



क्षेत्र सांगानेर जिला जयपुर बाबत् प्रस्तुत किया हैं। उक्त वाद न्यायालय हाजा के समक्ष गलत एवं वेग तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया हैं। वादीगण की बहने जानकी देवी एवं बंशी देवी ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद संख्या 183/2008 बउनवानी जानकी देवी बनाम हनुमान बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज, खातेदारी घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष खसरा नंबर 363, 367, 386, 395, 397, 651 कुल किता 6 कुल रकबा 0.4416 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरू रावान पटवार हल्का अवानियों भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर जिला जयपुर बाबत् प्रस्तुत किया था जो माननीय अदालत हाजा द्वारा दिनांक 17.07.2019 को खारिज फरमा दिया गया। वाद संख्या 183/2008 में माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 81/2020 की वादीगण सोहनी देवी रामप्यारी देवी बतौर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के रूप में संस्थित थी। उक्त वाद संख्या 183/2008 माननीय अदालत हाजा के द्वारा खारिज करने के पश्चात् वादीगण पुनः उसी भूमि पर नया वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि प्रश्नगत भूमि बाबत् समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने पर नया वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिये वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ होने से काबिज खारिज योग्य है। प्रस्तुत वाद में वादीगण पूर्व वाद संख्या 183/2008 में बतौर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के रूप में संस्थित थी, जिन्हें उक्त वाद की पूर्ण एवं सम्यक जानकारी थी। पूर्व वाद में वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की आदेश 2 नियम 2 के अनुसार किसी भाग का परित्याग करने पर पुनः नया वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।



अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में नहीं होने व बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज फरमाया जावें

अप्रार्थी/वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि - प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू नहीं होने के संबंध में विवेचना नहीं की है। प्रकरण में वाद कारण दिनांक 06.02.2020 को उत्पन्न हुआ है, जब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने वादीगण को धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा न्यायालय ए सी एम द्वितीय, जयपुर में प्रस्तुत वाद संख्या 183/2008 दिनांक 17.07.2019 को खारिज कर दिया गया है एवं विवादित आराजीयात से वादीगण का कब्जा बेदखल कर, कृषि भूमि का बेचान व हस्तान्तरण करेगे। दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन भी राजस्व नियमानुसार करते हुये वादीगण ने राजस्व नियमानुसार न्याय शुल्क अदा किया है एवं वाद बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है, जिसकी सुनवाई व निर्णित करने का माननीय न्यायालय को

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से वादीगण ने आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के सभी प्रावधानों की पालना करते हुये न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई करने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 9 व 10 स्व० श्री सांवत सिंह जी के विधिक वारिसान है जिनपर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के प्रावधान लागू होते हैं श्री सांवत सिंह जी पुत्र स्व० श्री मनसुख सिंह का स्वर्गवास 1963 में हुआ था, उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 वादहीगण व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की बिना सहमति व बिना किसी हकत्याग के नामान्तरण संख्या 63, दिनांक 16.03.1967 को विधि विरुद्ध खुलवाया है। वादीगण अपना हिस्सा 1/5-1/5 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त करने की अधिकारिणी है, जिसके लिए कोई समय सीमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्जित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा वाद संख्या 183/2008 उनवानी जानकी देवी व अन्य बनाम हनुमान सिंह व अन्य प्रस्तुत किया था, जो आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी पी सी के प्रावधानों के अन्तर्गत पक्षकार बनाये जाने की आपत्ति पर दिनांक 17.07.2019 को खारिज फरमा दिया गया है, जिसकी अपील संख्या 403/2019 उनवानी जानकी देवी बनाम हनुमान सिंह व अन्य नाम से माननीय राजस्व न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है। आदेश 2 नियम 2 सी पी सी का प्रावधान-दावे का भाग का त्याग - "जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग करता है वहां उसके पश्चात वह किस प्रकार लोप किये गये या त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लायेगा।" उक्त प्रावधान के अन्तर्गत भी वादीगण का वाद वर्जित नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा प्रकरण के विचारण में विलम्ब करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने

की कृपा करें।
बहस प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मसुदा स्तवेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर हुआ कि वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित वाद पूर्व में इस न्यायालय में विचाराधीन था पूर्व वाद की वाद संख्या 183/2008 बउनवानी जानकी देवी बनाम हनुमान सिंह था न्यायालय द्वारा उक्त वाद को अबैट होने से दिनांक 17.07.2019 को खारिज किया गया था खारिज वाद में वर्तमान वाद में वादीगण पूर्व वाद में प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के रूप में संस्थित थी। और पूर्व वाद में वादीयागण (पूर्व वाद में प्रतिवादी संख्या 9 व 10) द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने के उपरांत दिनांक 10.02.2012 को जवाब दावा भी प्रस्तुत किया गया था। उक्त से जाहिर है कि अप्रार्थीगण/वादीगण को पूर्व वाद की सम्यक जानकारी थी। लेकिन अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा दावा अबैट होने के उपरांत नये सिरे

सहायक क्लर्क
जयपुर शहर द्वितीय

से वाद कारण दिनांक 06.02.2020 का अंकित करते हुये पुनः वाद प्रस्तुत किया है। जबकि अप्रार्थीगण/वादीगण पूर्व वाद में लगातार उपस्थित रहे हैं। इससे जाहिर है कि अप्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त वाद स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है। दूसरा तथ्य यह है कि जब पूर्व वाद(वाद संख्या 183/2008 बउनवानी जानकी देवी बनाम हनुमान सिंह) की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष विचाराधीन है तो समान पक्षकार व समान वादग्रस्त भूमि का नया वाद प्रस्तुत करना क्षेत्राधिकार से बाहर जाहिर होता है। ऐसे में उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 की परिधि में होने से आगे चलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित आदेश 2 नियम 2 एवं धारा 10 व 11 व धारा 151 सी0सी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीयागण का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक आज दिनांक 09.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

डिक्री मुकदमा इब्दाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास

श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)

सोहनी देवी व अन्य

बनाम

हनुमान सिंह व अन्य

दावा बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

एवं आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी

सपठित आदेश 2 नियम 2 एवं धारा 10 व 11 व

धारा 151 सीपीसी

मुकदमा नम्बर - दावा/2020/81

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल-। व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित आदेश 2 नियम 2 एवं धारा 10 व 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीयागण का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज मुबलिग बाबत्
खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.11.2022 को जारी की गई। (09/11/2022)

मुहर



दस्तखत
सहायक कलक्टर
ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह संबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुकमनामा		
हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक		00	मीजान		
मीजान					

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय